कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्हें खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था (मई 2016)। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को पांच करोड़ डिपोजिट मुक्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था, जो एलपीजी पहुंच से वंचित और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित हैं, जिन्हें एसईसीसी-2011 सूची से चिन्हित किया जाना था। योजना के लक्ष्य को आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शनों पर संशोधित किया गया था और पहचान मानदंड को ई-पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत विस्तारित किया गया/छूट दी गई थी। योजना में चूल्हे और पहले रिफिल की लागत को कवर करने के लिए वैकल्पिक ऋण सुविधा भी प्रदान की गई थी जिसकी वसूली डीबीटीएल के अंतर्गत एलपीजी रिफिल पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी से की जानी थी।

योजना के लक्ष्य को आठ करोड़ करते समय 2016-17 से 2019-20 तक प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष-वार पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दो करोड़ कर दिया गया था। ओएमसीज ने 31 मार्च 2019 तक पीएमयूवाई के अंतर्गत 7.19 करोड़ कनेक्शन दिए थे जो कि मार्च 2020 तक जारी किए जाने वाले आठ करोड़ कनेक्शनो के लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। 7.19 करोड़ कनेक्शन में से पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.81 करोड़ तथा ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.38 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 36 राज्यों/यूटी में जारी किए। अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज मई 2016 में 61.90 *प्रतिशत* से बढ़कर अप्रैल 2019 में 94.30 *प्रतिशत* पर पहुँच गई।
इस पृष्ठभूमि में योजना की कार्यान्वयन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के मद्देनजर निम्नलिखित जांच करके इस पीएमयूवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी:

- क्या पीएमयूवाई कनैक्शन पर्याप्त सावधानी के बाद एसईसीसी-2011 सूची के केवल पात्र और अभीष्ट परिवारों को ओएमसी द्वारा जारी और संस्थापित किये गए हैं?
- क्या पीएमयूवाई लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एलपीजी वितरण नेटवर्क के प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त उपाय किये गये हैं?
- क्या ओएमसीज ने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार पीएमयूआई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए और योजना की जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाये हैं?
- क्या पीएमयूवाई योजना ने लाभार्थियों को एलपीजी के निरंतर उपयोग हेतु बढ़ावा दिया है?

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष संक्षेप में निम्नानुसार है:

I. <u>पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों का वितरण</u>

- लाभार्थियों के परिवार में मौजूदा एलपीजी कनेक्शन की पहचान एवं दोहराव रोकने हेतु परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या पर डी-डुप्लिकेशन किया जाना था। लेखापरीक्षा

में देखा गया कि 3.78 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 1.60 करोड़ (42 प्रतिशत) कनेक्शन केवल लाभार्थी की आधार संख्या पर जारी किए गए थे जो डी-डुप्लिकेशन कार्य में रूकावट पैदा करता है। **(पैरा 3.1)**

- लाभार्थियों की पहचान में ढिलाई देखी गई क्योंकि 9897 एलपीजी कनेक्शन ऐसे एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे जहां परिवार के सभी सदस्यों और लाभार्थी के नाम एसईसीसी-2011 सूची में रिक्त पाए गए। इसी प्रकार, 4.10 लाख कनेक्शन ऐसे एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे जहां एक सदस्य को छोडकर परिवार के समस्त ब्यौरे एसईसीसी-2011 सूची में रिक्त पाए गए। **(पैरा 3.2.1 एवं 3.2.2)**
- पीएमयूवाई में महिला के नाम पर एलपीजी कनेक्शन देने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल के सॉफ्टवेयर में इनपुट वैधीकरण जांच की कमी के कारण 1.88 लाख कनेक्शन पुरूषों के एएचएल टीआईएन के प्रति जारी किए गए थे। **(पैरा 3.2.3)**
- 52271 मामलों में व्यक्तियों के नामों को एसईसीसी लाभार्थियों के नाम के साथ संयोजकों उर्फ/या/उपनाम का उपयोग करते हुए कनेक्शन जारी किए गए थे एवं ऐसा आभास कराया गया कि दोनों नाम एक ही उपभोक्ता के हैं। **(पैरा 3.2.4)**
- आईओसीएल सॉफ्टवेयर में इनपुट वैधीकरण जांच की कमी से 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 0.80 लाख कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार, डाटा विश्लेषण से पता चला कि 8.59 लाख कनेक्शन उन लाभार्थियों को जारी किए गए जो एसईसीसी-2011 के अनुसार अल्पव्यस्क थे जोकि पीएमयूवाई एवं एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 का उल्लंघन हैं। **(पैरा 3.2.5)**
- डाटा विश्लेषण से एसईसीसी-2011 की तुलना में पीएमयूवाई डाटाबेस के बीच 12.46 लाख लाभार्थियों के नाम में बेमेलता का पता चला। इसके अलावा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 784 (जांच की गई 4348 केवाईसी रेकॉर्ड्स का 18 प्रतिशत) अभीष्ट लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का उपयोग एलपीजी वितरकों द्वारा गैर-अभीष्ट व्यक्तियों को लाभ देने हेतु किया गया था। **(पैरा 3.2.7)**
- 12465 मामलों में दोहरे कनेक्शन के निर्गमन को प्रतिबंधित करने के लिए डी-डुप्लिकेशन के कार्य में कमियाँ देखी गई थी। इसके अलावा, इनपुट वैधीकरण जांच में कमी से 42187 कनेक्शन अवैध एएचएल टीआईएन के प्रति जारी कर दिए गए जो एसईसीसी-2011 में मौजूद नहीं थे। **(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)**
- 4.35 लाख कनेक्शनों के प्रतिस्थापन में सात दिनों की निर्धारित समय अवधि के प्रति 365 दिनों से अधिक विलंब देखा गया था। **(पैरा 3.5)**

II. <u>सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन</u>

- 18558 केवाईसी रेकॉर्ड्स की नमूना जांच के दौरान सुरक्षा मानकों से विचलन देखे गए क्योंकि प्रतिस्थापन-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट 2531 मामलों (13.64 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, 2367 मामलों (12.75 प्रतिशत) में प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। **(पैरा 4.1.1 और 4.1.2)**

- लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित एलपीजी कार्यप्रणालियों के उपयोग के मामले भी देखे गए थे जैसे कि चूल्हे को जमीन पर/सिलिंडर के लेवल से नीचे रखा गया था, अवमानक पाइप का उपयोग किया जा रहा था। **(पैरा 4.1.4)**

III. <u>अवसंरचना संबंधी तैयारी</u>

- ओएमसी द्वारा लक्षित 10000 नए एलपीजी वितरक शुरू करने में अपर्याप्त प्रयासों के कारण मौजूदा एलपीजी वितरकों को घर पर वितरण की बजाय लंबी दूरी पर या गोदाम/नामित स्थान से सिलिंडरों की आपूर्ति हेतु विवश होना पड़ा।

(पैरा 5.3.1)

- 36.62 लाख एलपीजी रिफिल की सुपुर्दगी में सात दिनों की निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के प्रति 10 दिनों से अधिक (664 दिन तक) का विलंब हुआ था। इसके अलावा, एमडीजी के लक्षित सुपुर्दगी समय मानकों के अनुपालन में एलपीजी वितरकों के खराब कार्य-निष्पादन की ओएमसी द्वारा निगरानी नहीं की गई थी।

(पैरा 5.3.1.3 और 5.3.1.4)

- वित्त व्यय समिति और पीपीएसी सीआरआईएसआईएल ने एलपीजी उपयोग हेतु बाधा के रूप में उच्च रिफिल लागत पर विचार करते हुए पीएमयूवाई को सफल बनाने हेतु 5 कि.ग्रा. के छोटे सिलिंडरों के महत्व को उजागर किया, फिर भी इस दिशा में प्रयासों में कमी देखी गई क्योंकि केवल 92005 (3.78 करोड़ कनेक्शनो का 0.24 प्रतिशत) लाभार्थियों को 5 कि.ग्रा. के सिलिंडरों के कनेक्शन दिए गए थे। **(पैरा 5.4)**

IV. <u>बीपीएल परिवारों का एलपीजी में पारगमन</u>

- एलपीजी के निरंतर उपयोग को बढावा देना बड़ी चुनौती रहा है क्योंकि 1.93 करोड़ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (जिन्होने 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष से अधिक पूरा कर लिया है) की वार्षिक औसत रिफिल खपत केवल 3.66 रिफिल थी जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी। 31 दिसम्बर 2018 तक 3.18 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए इसी प्रकार के विश्लेषण से पता चला कि रिफिल की खपत 3.21 रिफिल प्रति वर्ष तक गिर गई थी। **(पैरा 6.2.1)**

- वाणिज्यिक उपयोग हेतु घरेलू सिलिंडरों के व्यपवर्तन का जोखिम देखा गया था क्योंकि 1.98 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों की औसत वार्षिक खपत 12 सिलिंडरों से अधिक थी जो उनके बीपीएल दर्जे के मद्देनजर असंभव प्रतीत होती है। इसी प्रकार, 13.96 लाख लाभार्थियों ने एक माह में 3 से 41 रिफिल की खपत की थी। इसके अलावा, आईओसीएल और

एचपीसीएल ने 3.44 लाख मामलों में सिंगल बोटल सिलिंडर के कनेक्शन वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों को एक दिन में 2 से 20 रिफिल जारी किए थे।

(पैरा 6.2.3)

- 0.92 करोड़ ऋणी उपभोक्ताओं (जिन्हे दिसम्बर 2018 तक एक साल से ज्यादा का समय हो गया था) द्वारा रिफिल की कम खपत (तीन तक) से ₹ 1234.71 करोड़ के बकाया ऋण की वसूली में बाधा आई। **(पैरा 6.4.1)**

V. **<u>वित्तीय प्रबंधन</u>**

- हालांकि, पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने हेतु वर्ष-वार लक्ष्य को वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए दो करोड़ कनेक्शन प्रत्येक पर संशोधित किया गया था (सितंबर 2017), फिर भी न तो 2017-18 के संशोधित अनुमानों को और न ही 2018-19 के बजट अनुमानों को लक्ष्यों के संशोधन या पिछले वर्षो की कमी को पूरा करने के अनुरूप आबंटित किया गया। इसके कारण इन वर्षों में बजट में कमी की वजह से ओएमसी के दावों का आंशिक निपटान हुआ था। **(पैरा 7.1)**
- सीएसआर पूल के अंतर्गत निधियों का अधिक संचय हुआ था जो बिना वास्तविक मूल्यांकन के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के दिशानिर्देशों से हुआ था। अतएव, ₹ 261.85 करोड़ की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जिसका उपयोग अन्य पात्र परियोजनाओं में अन्यत्र किया जा सकता था।

(पैरा 7.2)

सिफारिशें

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

- डी -डुप्लिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा के साथ ही साथ नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए।
- अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में उचित इनपुट नियंत्रण, डेटा सत्यापन और अनिवार्य क्षेत्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए;
- सही जानकारी प्राप्त करना और पीएमयूवाई लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रमाणित करना जैसे दोहरे लाभ के लिए ई-केवाईसी को शुरू करने की आवश्यकता है।
- यदि परिवार अन्य प्रकार से पीएमयूवाई के तहत पात्र पाया जाता है, तो अवयस्क लाभार्थियों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन को वयस्क परिवार के सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- लाभार्थियों के साथ एएचएल टिन साझा करने की व्यवहार्यता को एमओआरडी के साथ समन्वय में एमओपीएनजी द्वारा पता लगाया जा सकता है।

- पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति में जोखिम खतरों से बचने के लिए अनिवार्य निरीक्षण की लागत पर सब्सिडी देने के विकल्प का पता लगाया जा सकता है।
- यद्यपि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को मोटे तौर पर हासिल किया लिया गया है, शून्य/कम खपत श्रेणी में पीएमयूवाई लाभार्थियों को निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- व्यपवर्तन पर रोक लगाने के लिए रिफिल की उच्च खपत के मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- सीमित नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, पूरे एलपीजी डेटाबेस के साथ-साथ भौतिक रिकॉर्ड की भी जांच की जानी चाहिए ताकि अयोग्य/पुरुष/अवयस्क लाभार्थियों/बहु कनेक्शनों को कनेक्शन जारी करने में पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।
- एमओपीएनजी, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और घरेलू वायु प्रदूषण में कमी जैसे मापन-योग्य लाभों के परिणाम के आकलन के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित कर सकता है।
- जैसा कि योजना में परिकल्पित है, योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा की जा सकती है।

सिफारिशों की चर्चा निकास सम्मेलन में की गई थी और इसे मोटे तौर पर एमओपीएनजी द्वारा स्वीकार किया गया था।